आवश्यक
संख्या-3417/चौवालिस-1-49/85

प्रेषक,

श्री सत्याचरण श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/
नोयडा के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।

लखनऊ : दिनांक 5 फरवरी, 1986

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1।

कृपया मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के अर्ध शासकीय पत्र संख्या-665/चौवालिस-1/85, दिनांक 17 जुलाई, 1985 (प्रतिलिपि संलग्न) का सन्दर्भ लें जिसके द्वारा यह आदेश जारी किये गये थे कि राज्य के सार्वजनिक उद्यमों में 58 वर्ष की सेवा निवृत्ति के पश्चात् सेवा वृद्धि प्रदान न की जाय।

2- अब शासन के संज्ञान में पुनः यह बात आई है कि उपरोक्त आदेशों के बावजूद भी सार्वजनिक उद्यमों/निगमों में सेवा निवृत्ति के पश्चात् कार्मिकों को सेवा वृद्धि प्रदान की जा रही है। मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि 58 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूरी करने के पश्चात् शासन की स्वीकृति के बिना कोई सेवा वृद्धि प्रदान न की जाय।

3- कृपया इन आदेशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
सत्याचरण श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव।

संख्या-3417 (1)/चौवालिस-1/85, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) शासन के सम्बन्धित सचिव/विशेष सचिव।
(2) सार्वजनिक उद्यमों से सम्बन्धित सचिवालय के प्रशासकीय अनुभाग
(3) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो
(4) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2
(5) कृषि उत्पादन आयुक्त को उनके अर्ध शा0प0सं0-473/पीए-5, दिनांक 12 दिसम्बर, 1985 के सन्दर्भ में।

आज्ञा से,
सत्याचरण श्रीवास्तव,
सचिव।

गिरीश मेहरा,
मुख्य सचिव ।

अर्द्ध शा0 पत्र संख्या-665/44-1/85
उत्तर प्रदेश शासन
सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1
लखनऊ : दिनांक 17 जुलाई, 1985

प्रिय महोदय,

कुछ समय से सार्वजनिक उद्यमों में यह प्रवृत्ति देखने में आ रही है कि उनके द्वारा अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अधिवर्षतः की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् भी सेवा काल में वृद्धि स्वीकृत की जा रही है जो निम्न प्रकार है :-

(1) राज्य कर्मचारी जिन्हें निगमों द्वारा उनके राजकीय सेवा से निवृत्त हो जाने के पश्चात् सेवायोजित किया जा रहा है ।

(2) निगमों के ही कर्मचारी को सेवाकाल में वृद्धि का लाभ दिया जा रहा है ।

इस प्रकार की सेवावृद्धि उनको संविदा अथवा कन्सल्टेन्ट आदि के रूप में नियुक्ति करके भी दी जा रही है ।

2- राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से आदेश जारी किये गये हैं कि उनको सेवा निवृत्ति के पश्चात् सेवायोजित न किया जाय और यदि किसी भी दशा में सेवायोजित किया जाता है तो उसके लिये कार्मिक विभाग के आदेश प्राप्त किये जाने आवश्यक होंगे । ये कर्मचारी सेवा निवृत्ति के बाद सरकारी पेंशन आदि का लाभ प्राप्त करते हैं, अतः उनके सम्बन्ध में शासन में कार्मिक विभाग को सन्दर्भ कर उनकी अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक है ।

3- निगमों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में स्थाई आदेशों के अनुसार प्रदेश के सभी सार्वजनिक उपक्रमों में 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर उनको सेवा निवृत्त कर दिये जाने के आदेश हैं और यह भी आदेश हैं कि शासन के पूर्वानुमोदन के पश्चात् ही किसी कर्मचारी को 58 वर्ष की आयु से आगे सेवा वृद्धि प्रदान की जा सकती है ।

4- इन कार्मिकों के सेवायोजित किये जाने में केवल उनके वेतन, मानदेय या मासिक भत्ते का प्रश्न ही नहीं है बल्कि उनको जो अन्य सुविधायें जैसे उनके कार्यालयों तथा वाहनों का रख-रखाव और मकान किराया भत्ता आदि, उपलब्ध कराई जाती है, में काफी व्यय भार अर्न्तनिहित होता है । निगमों द्वारा इस बात को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है कि जहां तक राज्य कर्मचारियों का प्रश्न है उनको अधिवर्षता के पश्चात् सेवायोजन प्रदान किये जाने हेतु वे सक्षम नहीं हैं, जब तक कि वे इस सम्बन्ध में शासन में कार्मिक विभाग का अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लेंगे । जहां तक निगमों के अपने कर्मचारियों का सम्बन्ध है यह विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिये कि किसी अधिकारी/कर्मचारी की सेवा निवृत्ति के काफी समय पहले से ही उनके कार्य के लिये आवश्यक प्रबन्ध कर लिये जायें । यदि आवश्यक हो तो इसके लिये सेवारत सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किये जाने हेतु भी ध्यान दिया जाय ।

5- मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रदेश के सभी सार्वजनिक उद्यम तथा शासन में उनके प्रशासनिक विभाग इस ओर विशेष ध्यान दें तथा इस प्रकार की नियुक्ति पर तत्काल रोक लगा दें । विशेष परिस्थितियों को छोड़कर उक्त व्यवस्था लाभकारी नहीं है ।

भवदीय,
गिरीश मेहरा,

शासन के सम्बन्धित सचिव/
सार्वजनिक उद्यमों के प्रबन्ध निदेशक ।